UPBJ010026832026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0 133/2026

सुमेर सिंह बनाम अरूण आदि

धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0

थाना–मण्डावर, जिला बिजनौर।

दिनांक 18–03–2026

पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र क–3 हेतु नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 मय शपथ पत्र विपक्षीगण अरूण, कुसाल, निकिल, कृष्णा व बिट्टू के विरूद्ध सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम बादशाहपुर थाना मण्डावर जिला बिजनौर का रहने वाला अनुसूचित जाति (जाटव) का है। मुल्जिमान अरूण पुत्र दौलत, कुसाल, निकिल पुत्रगण अरूण, कृष्णा पुत्र जय सिंह, बिट्टू पुत्र कुमर सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना मण्डावर के रहने वाले हैं तथा जाति से कश्यप हैं। प्रार्थी के पुत्र का रियलमी सी–55 मोबाईल फोन अरूण के पास था जो बार बार मांगने पर भी वापस नहीं कर रहा था। दिनांक 22–11–2025 को समय करीब 07:30 बजे शाम प्रार्थी अपनी पत्नी शीला के साथ परचून की दुकान पर सामान लेने जा रहा था। रास्ते में प्रार्थी को अरूण, कुशाल, निकिल मिले। प्रार्थी ने अपने पुत्र का फोन अरूण से मांगा तो तीनो बाप बेटो व इनके साथ कृष्णा व बिट्टू ने मिलकर प्रार्थी को जाति सूचक अपशब्दों से अपमानित कर गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि साले चमट्टे भोसडी के चमार के यहां आकर फोन मांगता है, हम तेरा फोन नहीं देंगे और प्रार्थी के साथ लात घूसों से मारपीट की। प्रार्थी को बचाने आयी प्रार्थी की पत्नी को भी मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर लात घूसों से मारपीट किया। शोर शराबे की आवाज सुनकर कपिल व बलराम आ गये जिन्होंने प्रार्थी व उसकी पत्नी को बचाया। मुल्जिमान ने जाते जाते धमकी दी कि तुम सब चमार मिलकर भी हमारा क्या बिगाड लोगे। इस घटना में प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को काफी गम्भीर व गुम चोटे आयी। प्रार्थी उसी समय रिपोर्ट लिखाने थाना मण्डावर गया परन्तु थाने वालो ने सही रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी का डाक्टरी मुआयना कराया। पुलिस मुल्जिमान से हमसाज है केवल अरूण के खिलाफ एस0डी0एम0 कोर्ट की कार्यवाही कर मामले को रफा दफा कर दिया। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर, डी0आई0जी0 मुरादाबाद व मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी प्रार्थना पत्र दिये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजार रहा है। याचना की गयी है कि थाना

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2026.03.18 16:27:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रभारी मण्डावर को आदेशित किया जाए कि मुल्जिमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, घटना की सूचना की थाना मण्डावार की पावती रसीद दिनांकित 22–11–2025, छायाप्रतियां प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक बिजनौर, प्रार्थना पत्र डी0आई0जी0 मुरादाबाद मय रसीद रजिस्टरी, छायाप्रति आधार कार्ड व छायाप्रति जाति प्रमाण पत्र दाखिल किए गए हैं।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने पर अभियोग पंजीकृत होने के सम्बन्ध थाने से आख्या तलब की गयी, थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी व उसकी पत्नी को जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौच करके अपमानित करना, लात घूसों से मारपीट करना व जान से मारने की धमकी दिया जाना अभिकथित किया गया है। परन्तु मारपीट में आयी चोटो के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं होनी है। प्रकरण के सभी तथ्य प्रार्थी को ज्ञात हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रार्थी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा नरेश कुमार बाल्मिकी बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य प्रार्थना पत्र धारा 482 सं0 14443/2022 निर्णय दिनांकित 17–10–2022, रामबाबू गुप्ता प्रति उ0प्र0 राज्य 2001 (2) जे.आई.सी. 231, इलाहाबाद फुल बैन्च, योगेन्द्र सिह प्रति उ0प्र0 राज्य 2005 (2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद, सुखवासी प्रति उ0प्र0 राज्य 2008 (1) ए.सी.आर. 170, सुरेशचंद जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य व अन्य 2001 (42) ए.सी.सी. 459 (एस.सी.), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानंद व अन्य प्रति स्वामी सचिदानन्द हरि साक्षी व अन्य 2001 (सप्लीमेन्ट्री) ए.सी.सी. 957 (एस.सी.) के विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप मे संचालित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाए। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 29–04–2026 को पेश हो।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0,एस0टी0(पी.ए.)एक्ट, बिजनौर।
J.O. Code-U.P.6074